

प्रेस नोट 22.04.19

- 1.दिनांक 21.04.19 को वादी ऋचा सिंह पुत्री रमेश कुमार सिंह निवासी बभनान जनपद बस्ती द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी का एटीएम कार्ड बदलकर 25000/ रुपये निकाल लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 316/19 धारा 379, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 2.दिनांक 21.04.19 को वादी श्री अमित शुक्ला पुत्र गया प्रसाद शुक्ला निवासी 194 तिलक नगर जनौरा, थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं0 यूपी 42 वी 9053 बजाज पल्सर चोरी कर लेना जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 153/19 ई-एफआई आर धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 3.दिनांक 21.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अरविन्द राम थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि चन्द्रेश पुत्र राम नरेश निवासी सकटपुर गयासपुर थाना तारून, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 100 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 189/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 4.दिनांक 21.04.19 को वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार मौर्या थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम करन पुत्र सम्पत निवासी तकिया मजरे मगलसी थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 175/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 5.दिनांक 21.04.19 को वादी उ0नि0 श्री गुड्डू प्रसाद थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बन्तीलाल पुत्र बालकराम निवासी लोनिया पुरवा मजरे सिठौली थाना पटरंगा, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 85/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।